पटना में दिनांक–28 जून, 2016 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

1.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु पुलिस उपाधीक्षक (पटना उच्च न्यायालय, सुरक्षा) का एक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	1.	स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपर सचिव/समकक्ष स्तर, पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–, ग्रेड पे ₹ 8,900/–से विशेष सचिव/समकक्ष स्तर के पद, पे–बैंड ₹ 37,400–67,000/–, ग्रेड पे ₹ 10,000/– में प्रोन्नति देने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

नगर विकास एवं आवास विभाग

4.	नालंदा जिलान्तर्गत हरनौत को नगर पंचायत घोषित करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

5.	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता (असै०) से अधीक्षण अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान् रू० 37400–67000 ग्रेड पे–रू० 8700/–में प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव।	5.	स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

6.	जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता (असै०) से मुख्य अभियंता (असै०) के पद पर वेतनमान् रू० 37400–67000 ग्रेड पे–रू० 8900/–में प्रोन्नति दिये जाने का प्रस्ताव।	6.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

7.	समेकित बाल विकास (आई०सी०डी०एस०) योजना अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं यथा–स्थापना (प्रशिक्षण, ISSNIP सहित), IGMSY (महिला सशक्तिकरण मिशन सहित), किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी "सबला", ऑ० केन्द्र के बच्चों का पोशाक, ऑ० केन्द्र भवन निर्माण (उत्क्रमण, मरम्मति सहित) हेतु प्राप्त बजट उपबन्ध ₹ 113536.68 लाख (राज्य योजना– केन्द्रांश ₹ 103315.58 लाख एवं राज्यांश ₹ 10221.10 लाख) के व्यय की स्वीकृति।	7.	स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग
(आई०सी०डी०एस० निदेशालय)

8. समेकित बाल विकास (आई०सी०डी०एस०) योजना अन्तर्गत पूरक पोषाहार मद में प्राप्त बजट उपबन्ध ₹ 127261.32 लाख (राज्य योजना–केन्द्रांश ₹ 98082.42 लाख एवं राज्यांश ₹ 29178.90 लाख) के व्यय की स्वीकृति। 8. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

9. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–10919/2015 में पारित न्यायादेश के आलोक में श्री बैद्यनाथ प्रसाद, सेवानिवृत्त वाणिज्य–कर उपायुक्त (वेतनमान रू० 15600–39100 +ग्रेड पे०–7600) को वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान रू० 37400–67000 +ग्रेड पे०–8700) कोटि में प्रोन्नति देने के संबंध में। 9. स्वीकृत।

वित्त विभाग

10. बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि के केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक– 01.04.2016 से 30 जून, 2016 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8.1% (आठ दशमलव एक प्रतिशत) किये जाने के संबंध में। 10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. प्राथमिक–सह–मध्य संस्कृत विद्यालय, किसनपुर युसूफ, समस्तीपुर को सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–5544/2006 में दिनांक– 17.05.2011 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ दिनांक–01.04.2016 से प्रदान किए गए प्रस्वीकृति के फलस्वरूप विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन भुगतान के संदर्भ में दिनांक–13.05.16 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए संदर्भित विद्यालय के शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों को न्यायादेश पारित होने की तिथि 17.05.2011 से दिनांक–31.03.16 तक वेतनादि भुगतान हेतु कुल रू० 35,00,000/–(पैंतीस लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 11. स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

12. मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना के अंतर्गत 3300 अदद सोलर पम्प योजना एवं राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय एवं व्यवसायिक परिसरों में 1kWp क्षमता के ऑफग्रिड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना की कुल 237.07 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यांश के रूप में राज्य योजना से 114.53 करोड़ रूपये (पर्यवेक्षण शुल्क सहित) ब्रेडा को सहायक अनुदान के रूप में उपलबध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 12. स्वीकृत।

गृह विभाग
(कारा)

13. कारा सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत कारा प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु बिहार कारा हस्तक, 2012 के प्रावधानों के आलोक में कारा एवं सुधार सेवाएँ मुख्यालय के अंतर्गत सहायक महानिरीक्षक, कारा (क्षेत्र) के 04 (चार), निम्न वर्गीय लिपिक के 08 (आठ) एवं आशुलिपिक के 04 (चार) पदों की स्वीकृति के संबंध में। **13.** **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2016–17 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति अन्तर्गत घोषित रियायतें एवं देय सुविधाओं की प्रतिपूर्ति/खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 58962.00 लाख (पाँच सौ नवासी करोड़ बासठ लाख) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति एवं ₹ 46298.80 लाख (चार सौ बासठ करोड़ अन्ठानवे लाख अस्सी हजार) मात्र विमुक्ति के संबंध में। **14.** **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

15. वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों को परिशिष्ट–1 के अनुसार 4 आवासीय उच्च विद्यालयों (560 आसन वाले छात्रावास भवन सहित) एवं 3 छात्रावास भवनों (200 आसन वाले) का निर्माण भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित नक्शा एवं प्राक्कलन के अनुसार प्रति विद्यालय ₹17.55 करोड़ एवं प्रति छात्रावास (200 असान वाले) ₹7.38 करोड़ के दर से कुल–₹92.34 करोड़ (बेरानवे करोड़ चौंतीस लाख रूपया) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० के माध्यम से कराने की स्वीकृति तथा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में ₹ 37.00 करोड़ (सैंतीस करोड़ रूपया) मात्र के व्यय की स्वीकृति के साथ ही आगामी वित्तीय वर्षों में प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव है। **15.** **स्वीकृत।**

अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

16. पश्चिम चम्पारण जिला अन्तर्गत समेकित थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य योजना से समेकित थरूहट विकास अभिकरण, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के माध्यम से थरूहट क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रस्तावित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सहायक अनुदान वेतन मद में ₹ 10.00 लाख, सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण–₹ 497.39 लाख तथा सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा ₹ 2000.00 लाख अर्थात् कुल ₹ 2507.39 लाख (पचीस करोड़ सात लाख उनचालीस हजार) मात्र अनुदान के रूप में समेकित थरूहट विकास अभिकरण पश्चिम चम्पारण, बेतिया को उपलब्ध कराते हुए चयनित योजनाओं के लिये व्यय करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। **16.** **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

19. वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य में केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पूर्व से संचालित "साक्षर भारत मिशन कार्यक्रम" के लिए केन्द्रांश मद में 4500.00 लाख (पैंतालीस करोड़) एवं संगत राज्यांश मद में 3000.00 लाख (तीस करोड़) कुल–7500.00 लाख (पचहत्तर करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ कि भारत सरकार से जैसे–जैसे केन्द्रांश प्राप्त होगा उसके संगत राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि की निकासी एवं व्यय के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राज्यांश मद में उपलब्ध राशि 67000.00 लाख (छः सौ सतर करोड़ रू०) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं जैसे–जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्त होगी वैसे–वैसे संगत राज्यांश की राशि की विमुक्ति की स्वीकृति। **20. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

21. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए केन्द्रांश मद में उपलब्ध राशि 100500.00 लाख (एक हजार पाँच करोड़ रू०) निकासी एवं व्यय की स्वीकृति एवं जैसे–जैसे केन्द्रांश की राशि प्राप्ति होगी वैसे–वैसे राशि की विमुक्ति की स्वीकृति। **21. स्वीकृत।**